सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री ख्यालीराम पुत्र मूलचन्द मीना ग्राम/पोस्ट कौलाना तहसील बसवा जिला दौसा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा

अपील सं0 14/2019

निर्णय दिनांक : 21.05.2019

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित कर वॉछित सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वॉछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार तहसील बसवा को प्राप्त पत्रों की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार तहसील बसवा से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर उनको पुनः इस कार्यालय के पत्रांकः डीएम/कोर्ट/835 दिनांक 14.05.2019 द्वारा स्मरण–पत्र जारी किया गया। किंतु लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार तहसील बसवा का जवाब स्मरण पत्र के बावजूद भी प्राप्त नहीं होना गंभीर बात है। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर दौसा द्वारा भी तहसीलदार बसवा को उनके पत्रांक आरटीआई/2019/223–225 दिनांक 22.02.19 व 25.03.19 द्वारा भी सूचना दिये जाने क्रम मे निर्देशित किया गया है। उसके बावजूद भी अपीलांट को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र की सूचना संबंधित व्यक्ति को 30 दिवस की समयावधि में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा को निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट को वॉछित सूचना/नकल आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावें। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा